

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना संख्या-227 दिनांक-08.01.2018 द्वारा पूर्व में निर्गत श्रम संसाधन विभाग(श्रम पक्ष) की अधिसूचना ज्ञापांक-3965 दिनांक-16.9.16 में आंशिक संशोधन किया गया है।

उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में विभागीय आवंटनादेश संख्या-116 दिनांक-08.01.2018 जो मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत निधि के आवंटन से संबंधित है, के आवंटनादेश में-

(i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नाम में सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर के स्थान पर उप श्रमायुक्त, मुंगेर पढ़ा जाय ।

(ii) क्रम संख्या-01 में अंकित कार्यालय का नाम में सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर के स्थान पर उप श्रमायुक्त, मुंगेर पढ़ा जाय ।

2. अतः उक्त आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. आवंटनादेश की शेष बातें यथावत् रहेगी ।

ह०/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-304/17 श्र०स०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-304/17 श्र०स०-

1153

पटना, दिनांक-

6-3-18

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ उप श्रमायुक्त, मुंगेर/ सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-6,श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

06/03/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।